(वाद संख्या–**2344/17**)

11.09.2019

परिवादी अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय उपस्थित हैं।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

प्रस्तुत मामला परिवादी की पत्नी, सीमा कुमारी, तत्कालिन पंचायत शिक्षिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मदनडोव के 11.10.2013 को योगदान देने के उपरान्त दिनांक–11.07.2014 तक (त्याग पत्र देने की तिथि) के प्रतिमाह रुपये, 9000/– की दर से कुल रुपये, 81,000/– मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि इस संबंध में उसकी पत्नी की ओर से जिला अपीलीय प्राधिकार, मधुबनी के समक्ष भी याचिका दाखिल की गयी थी। जिला अपीलीय प्राधिकार, मधुबनी द्वारा वाद सं0–36/12/2014 के अन्तर्गत दिनांक–14.09.2016 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को उक्त बकाया मानदेय का भुगतान, आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर, किये जाने का निर्देश दिया गया। परिवादी का कथन है कि उसकी पत्नी की ओर से इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी व जिला पदाधिकारी, मधुबनी से कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन आजतक उपरोक्त बकाया मानदेय का भुगतान उसे नहीं हुआ है।

आयोग द्वारा उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की गयी तथा उन्हें इस निमित पांच बार स्मारित भी किया गया, लेकिन जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा आयोग को अब तक प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी को उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु परिवादी के परिवाद पत्र (पृ0–11–01/प0) की प्रति संलग्न कर दिनांक–18.11.2019 के पूर्व वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय तथा उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाय कि अगर जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा ससमय वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाता है तो आयोग को वाध्य होकर उनके विरुद्ध भा0द0स0 की धारा–176 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु विवश हो जाना पड़ेगा।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में उन्हें सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक–25.11.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक